

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

8

अदालत उपरवठ आधिकारी मुकाम दोडभीम

जलास पीठासीन आधिकारी जजदीश आर्य P.S

उजवाज

गो लाल पुत्र भजन जाति
गवासी डारनपुर मूलक

तीपानि रामजी लाल

रामाजी कि रामजी लाल

गोशं जाति मीना

सी - डारनपुर तहसील

दोडभीम जिला करौली

विषय विवेधाजा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई

1) उकराम 2) चामसिंह 3)

नल्युसिंह कि सरवन जाति

मीना गिवासी डारनपुर

तहसील - दोडभीम जिला

करौली 4) पुं भूमा केवा रामरतन

जाति मीना कि पलान हेड, तह

मखा जिला - कौसा

5) तहसीलदार तहं दोडभीम


मुकदमा नं० 93 सन् 2007

बनाम

सी सुरेश चन्द शर्मा निवा हाजिरी
मिनकानिब गुदई रूबरु हमार

ब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि राम
डारनपुर की भूमि ख. नं 97 186 इलकित 2 रकबा 038 हे
मे हिस्सा 1/2 में रामो तीपानि रामजी लाल - देतराम पुत्र रामजी लाल
पुत्र रामजी लाल जाति मीना गिवासी डारनपुर की हिस्सा 1/2
हिस्सा करावर का खोददार का प्रहकार घोषित किया जाता है।
तथा की रकबा 1/2 घलया लो जाम हुजफ करे के आदिम दिवे
जाते है।



मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

बशरह का अदा करें। 02 माह 6 सन् 2015

व मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
0 को जारी की गई।

दस्तखत
उप जिला कलक्टर
ओहदा दोडभीम (करौली)

दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
दाय्य अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
दाय्य वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।